

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- cuodib@gmail.com
Tel./Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक: प.6(इ)/लेखा/RTIDF/डीएलबी/2014-15/ 21942

दिनांक : 30-3-17

-:स्वीकृति आदेश:-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 17.08.2015 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 6784 दिनांक 26.08.2015 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 8.4.1.2 के निर्णय के क्रम में जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2015-16 की संचालन हानि के पेटे राशि रूपये 1000.00 लाख में से राशि रूपये 487.55 लाख, राशि रूपये 422.85 लाख के पुनर्विनियोजन के साथ जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड के पीडी खाते में राशि हस्तांतरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विवरण	बजट मद			योग
	प्रथम मांग संख्या-29	द्वितीय मांग संख्या-51	तृतीय मांग संख्या-30	
2217-शहरी विकास 05- अन्य शहरी विकास योजनाएं 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 02- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 02- जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 12- सहायताार्थ अनुदान (गैर संवेतन आयोजना)	2217-शहरी विकास 05- अन्य शहरी विकास योजनाएं 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 02- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 08- जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि0 (अनुसूचित जातियों के लिए) 12-सहायताार्थ अनुदान (गैर संवेतन आयोजना)	2217-शहरी विकास 05- अन्य शहरी विकास योजनाएं 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 02- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 04- जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि0 (अनुसूचित जनजातियों के लिए) 12- सहायताार्थ अनुदान (गैर संवेतन आयोजना)		
आर.ई 2016-17 बजट प्रावधान	1586.10	476.45	311.35	2373.90
पुनर्विनियोजित राशि	319.48	58.86	44.51	422.85
कुल स्वीकृत प्रावधान	1905.58	535.31	355.86	2796.75
पूर्व में रिलीज राशि	343.50	89.00	67.50	500.00
इस स्वीकृति के पेटे रिलीज राशि	319.48	123.56	44.51	487.55

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की गई है:-

- जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड द्वारा राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा, जिस हेतु राशि जारी की गई है।
- जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड आगे राशि रिलीज के प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व उपयोगिता प्रमाण-पत्र/अकेसित लेखें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
- जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड संचालन हानि न्यूनतम करने के निर्णय की पालना सुनिश्चित करेगा।
- इस राशि को बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा। राशि का पी.डी. खाते से आहरण निधियों की वारंवारिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड इस राशि के व्यय में RTIP Act 2012/Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति दि. (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक 171700277 दिनांक 28.03.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प8(ड)/लेखा/RTIDF/डीएलबी/2014-15/21943-52 दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

30-3-12

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. महालेखाकर (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
03. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
06. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रुपये 487.55 लाख (अक्षरे रुपये चार करोड़ सत्तासी लाख पचपन हजार मात्र) प्रबन्ध निदेशक, जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड के निजी निक्षेप खाता संख्या 5746 में राशि हस्तान्तरित करने का श्रम करावे।
07. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
08. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
09. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. प्रभारी अंक मिलान शाखा।


(एस.आर.मीणा)
परियोजना निदेशक,